न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर०ए०एस०

अपील प्र०सं० 07/2018

1. परमजीत कौर पत्नी दर्शनसिंह
2. जसदीपसिंह पुत्र दर्शनसिंह
3. रसपिन्द्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह
4. सतनामसिंह पुत्र लखवीरसिंह
5. गुरनामसिंह पुत्र बक्शीशसिंह
6. सुरेन्द्रकौर पुत्री सोहनसिंह

अकवाम जटसिख सकनाए चक 4 वी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।

अपीलाटस

बनाम

1. तहसीलदार, श्रीकरणपुर।
2. अवतारकौर पत्नी वेअन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 216 मुकर्जी नगर, श्री गंगानगर हाल निवासी चक 4 वी तहसील श्री करणपुर।
3. महेन्द्रकौर पत्नी स्व0 राजेन्द्रपालसिंह जाति जटसिख
4. सतकवर्न्दसिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्रपालसिंह
5. रवि देव पुत्र गुरदेवसिंह
6. सविदेव पुत्र गुरदेवसिंह
7. हरवंशकौर पत्नी स्व0 गुरचरणसिंह
8. कलशेवरसिंह पुत्र स्व0 गुरचरणसिंह
9. बलजीतसिंह पुत्र स्व0 गुरचरणसिंह
10. भूपेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 गुरचरणसिंह
11. अमरजीतसिंह पुत्र स्व0 गुरचरणसिंह
12. हरवंशसिंह पुत्र स्व0 गुरचरणसिंह
13. जीवनजोतकौर पुत्री स्व0 गुरचरणसिंह
14. गुरमीतसिंह पुत्र स्व0 तेजासिंह
15. रणजीतसिंह पुत्र स्व0 तेजासिंह
16. जसमीतसिंह पुत्र स्व0 तेजासिंह
17. अमृतपालसिंह पुत्र स्व0 तेजासिंह
18. हरमीतसिंह पुत्र स्व0 तेजासिंह
19. गुरप्रकाश कौर पुत्री स्व0 तेजासिंह
20. अमृतप्रकाश कौर पुत्री स्व0 तेजासिंह
21. गुरअमृतकौर पुत्र स्व0 तेजासिंह
22. गुरविन्द्रकौर पुत्री स्व0 तेजासिंह
23. गुरमनजीतकौर पुत्र स्व0 तेजासिह
24. भगवानकौर पुत्री स्व0 तेजासिंह

अकवाम जटसिख सकनाए चक 4 वी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
[Type श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध इंतकाल सं0 10 दिनांक 14–02–1955 दिनांक 25–01–55 के तमलीकनामा के आधार पर स्वीकृत किए गए इंतकाल को निरस्त करने के संबंध में।

उपस्थित : 1. श्री कुलविन्दसिंह, अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री मलकियतसिंह नंदा, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 2
3. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3 व 4
4. श्री विरेन्द्र सिहाग, अधिवक्ता, रेस्पो. सं0 5

आदेश दिनांक : 31–03–22

अपीलांटस द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ नामान्तरण सं0 10 दिनांक 14–2–1955 तहसीलदार, श्री करणपुर द्वारा तमलीकनामा दिनांक 25–1–55 के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया, को निरस्त करने हेतु अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि साधुसिंह पुत्र जीवनसिंह के पास कुल 142 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। साधुसिंह ने अपने चारों पुत्र (तेजासिंह को छोड़कर) बेअन्तसिंह व राजेन्द्रसिंह को 50 बीघा 4 बिस्वा बहिस्सा बराबर व गुरचरणसिंह को 24 बीघा 10 बिस्वा व गुरदेवसिंह को 25 बीघा भूमि जरिये तमलीकनामा दिनांक 25–01–1955 दे दी। शेष भूमि 42 बीघा 14 बिस्वा स्वंय अपने पास रख थी जो उसके जरिये वसीयत ज्ञानकौर को दे दी। इस वसीयत के आधार पर इंतकाल सं0 21 ज्ञानकौर के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। ज्ञानकौर पत्नी साधुसिंह ने वसीयत में प्राप्त भूमि में से मु0 नं0 24 के कि0 नं0 2 की 10 बिस्वा कि0 नं0 2 ता 9 के 8 बिस्वा कि0 नं0 10 में 10 बिस्वा कि0 नं0 11 में 10 बिस्वा कि0 नं0 12 व 13 सालम व कि0 नं0 14 व 15 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कि0 नं0 17 सालम, कि0 नं0 18 में 18 बिस्वा कि0 नं0 19 सालम कि0 नं0 20 में 10 बिस्वा कि0 नं0 21 में 10 बिस्वा कि0 नं0 22 में 9 बिस्वा मु0 नं0 40/2 में 9 बिस्वा मु0 नं0 40/10 में 10 बिस्वा कुल 18 बीघा 9 बिस्वा भूमि का तमलीकनामा तेजासिंह के पक्ष में दिनांक 26–5–69 को कर दिया तथा कब्जा सौंप दिया। तेजासिंह ने तमलीकनामा से प्राप्त भूमि 18 बीघा 9 बिस्वा को जरिये बैयनामा सं0 615,616,617,618 दिनांक 31–8–1970 से प्रतिफल प्राप्त कर उक्त भूमि दर्शनसिंह, सतनामसिंह, गुरनामसिंह व तेजकौर (जो अपीलांटस हैं) को बेचान कर दी है तथा बेचान के रोज से ही कब्जा सौंप दिया गया है तब से उक्त भूमि पर खरीददार काबिज चले आ रहे हैं। तेजासिंह ने तमलीकनामा दिनांक 26–5–69 के आधार पर इंतकाल करवाने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत 8 वी को प्रस्तुत किया, पटवारी द्वारा इंतकाल खोला गया परन्तु भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया कि तमलीकनामा से कोई खातेदारी अधिकारों का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हस्तान्तरण नही होता है। भूमि केवल गुजारे हेतु दी गई है। तमलीक कुनिन्दा फौत हो चुका है। नामान्तरण खारिज करने की दिनांक 1-2-88 को सिफारिश की ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 7-2-88 को भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार इंतकाल सं0 39 खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमलीकनामा के बारे में अपना अलग-2 व्यू रखा है। उक्त तमलीकनामा दिनांक 26-5-99 के आधार पर इंतकाल दर्ज नही किया गया है तथा तमलीकनामा दिनांक 25-1-55 के आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमलीकनामा दिनांक 26-5-69 के आधार पर इंतकाल को सही नहीं माना है तो दिनांक 25-1-55 के तमलीकनामा पर इंतकाल सही कैसे हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने की अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी। अपीलाधीन भूमि पर अपीलान्टस काबिज है। तेजासिंह द्वारा उक्त भूमि का बेचान अपीलांटस को कर दिये जाने के कारण उक्त भूमि में अपीलांटस को अधिकार प्राप्त हो गये। अपीलांटस को इंतकाल की कोई सूचना नहीं थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल सं0 10 दिनांक 14-2-18 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। आदेश दिनांक 22-02-22 से रेस्पोडेन्ट सं0 14 से 24 के नाम अपील शीर्षक से डीलीट करने के आदेश दिये गये क्योंकि अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 14 से 24 तक किसी से अनुतोष नहीं चाहा है। अपील से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलांटास द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई तथा मौखिक बहस भी की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि साधुसिंह के पास कुल 142 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। साधुसिंह ने अपने चारों पुत्र (तेजासिंह को छोड़कर) बेअन्तसिंह व राजेन्द्रसिंह को 50 बीघा 4 बिस्वा बहिस्सा बराबर व गुरचरणसिंह को 24 बीघा 10 बिस्वा व गुरदेवसिंह को 25 बीघा भूमि जरिये तमलीकनामा दिनांक 25-01-1955 दे दी। शेष भूमि 42 बीघा 14 बिस्वा स्वंय अपने पास रख थी जो उसके जरिये वसीयत ज्ञानकौर को दे दी। इस वसीयत के आधार पर इंतकाल सं0 21 ज्ञानकौर के पक्ष में स्वीकृत हो गया। ज्ञानकौर ने वसीयत में प्राप्त भूमि का तमलीकनामा तेजासिंह के पक्ष में दिनांक 26-5-69 को कर दिया तथा कब्जा सौंप दिया। तेजासिंह ने तमलीकनामा से प्राप्त भूमि 18 बीघा 9 बिस्वा को जरिये बैयनामा सं0 615,616,617,618 दिनांक 31-8-1970 से प्रतिफल प्राप्त कर उक्त भूमि दर्शनसिंह, सतनामसिंह, गुरनामसिंह व तेजकौर (जो अपीलांटस हैं) को बेचान कर दी है तथा बेचान के रोज से ही कब्जा अपीलांटस को सौंप दिया गया है तब से उक्त भूमि पर खरीददार काबिज चले आ रहे हैं। तेजासिंह ने तमलीकनामा दिनांक 26-5-69 के आधार पर इंतकाल करवाने का प्रार्थना पत्र ग्राम

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पंचायत 8 वी को प्रस्तुत किया, पटवारी द्वारा इंतकाल खोला गया परन्तु भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया कि तमलीकनामा से खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं होता है। भूमि केवल गुजारे हेतु दी गई है। तमलीक कुनिन्दा फौत हो चुका है। नामान्तरण खारिज करने की दिनांक 1–2–88 को सिफारिश की गई। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 7–2–88 को भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इंतकाल सं0 39 खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों तमलीकनामा के बारे में अपना अलग–2 व्यू रखा है। उक्त तमलीकनामा दिनांक 26–5–69 के आधार पर इंतकाल दर्ज नहीं किया गया है तथा तमलीकनामा दिनाक 25–1–55 के आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमलीकनामा दिनांक 26–5–69 के आधार पर इंतकाल को सही नहीं माना है तो दिनांक 25–1–55 के तमलीकनामा पर इंतकाल सही कैसे हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने की अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी। तेजासिंह द्वारा उक्त भूमि का बेचान अपीलांटस को कर दिये जाने के कारण उक्त भूमि में अपीलांटस को अधिकार प्राप्त हो गये हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल सं0 10 दिनांक 14–2–18 निरस्त फरमाया जावे। अपने तर्क के समर्थन में अपीलांट के अधिवक्ता आर आर डी 1997 पेज 136 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि साधुसिंह के पास 142 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि थी। साधूसिंह द्वारा अपने पुत्र बेअंतसिंह, राजेन्द्रसिंह, गुरचरणसिंह, गुरदेवसिंह एवं तेजासिंह को जरिये तमलीकनामा दिनांक 25–1–55 से (तेजासिंह को छोड़ते हुए) शेष चारों पुत्रों को भूमि दी। उक्त कृषि भूमि का इंतकाल सं0 10 दिनांक 14–2–55 को स्वीकृत हुआ है। अपील दिनांक 28–11–18 को पेश की गई। अनुतोष में इंतकाल सं0 10 दिनांक 14–2–18 अंकित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक को दुरूस्त नहीं करवाया गया है। साधुसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14–12–42 को बंद वसीयत करवाई थी जो दिनांक 16–01–62 को खोली गई। साधुसिंह ने पत्नी ज्ञानकौर को कृषि भूमि जरिये वसीयत दी थी। वसीयत के समय राजेन्द्रसिंह नाबालिग था। इंतकाल सं0 21 ज्ञानकौर की मृत्यू के बाद इंतकाल सं0 14–22–2–88 तस्दीक हुए। 42–42 बीघा कृषि भूमि पॉचों पुत्रों में बहिस्सा बराबर – बराबर दर्ज हुई। दिनांक 25–6–69 को ज्ञानकौर ने तेजासिंह के पक्ष में तमलीकनामा किया। इंतकाल सं0 39 दिनांक 7–2–88 खारिज हो गया। दिनांक 31–8–70 को अपीलार्थीगण के पक्ष में बैयनामा करवाया गया। दिनांक 11–8–14 को उपखाण्ड अधिकारी, श्री करणपुर के न्यायालय में दावा पेश किया गया जो वर्तमान में विचाराधीन है। मियाद बिन्दु पर एतराज है। अपील 63 वर्ष 9 माह बाद पेश की गई है। Date of Knowledge and Source of knowledge के आधार पर मियाद तय होती है। दिनांक 11–8–14 को जानकारी थी लेकिन अपील दिनांक 28–11–18 को पेश की गई है। जानकारी होने

अतिरिक्त कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पर भी चार साल सात माह बाद अपील मियाद बाहर पेश की गई है। मियाद [illegible] करने का सन्तोषप्रद कारण नहीं है इसलिए अपील खारिज की जावे। [illegible] सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल प्रभावित पक्षकार ही [illegible] प्रस्तुत कर सकता है। अपीलांटस प्रभावित पक्षकार नहीं है। बैयनामा दिनांक 30-8-70 का है। सोर्स आफ नोलेज- जिस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त हुई, शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। मात्र तेजासिंह प्रभावित पक्षकार था जिसने किसी न्यायालय में किसी आदेश को कोई चुनौति नहीं दी है। ज्ञानकौर द्वारा दिनांक 25-9-69 को किये गये तमलीकनामा के बारे मे कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। दिनांक 26-5-69 को तमलीकनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज की कार्यवाही की गई है। इंतकाल सं0 39 खारिज – इसी की अपील करनी चाहिये थी। दिनांक 28-6-18 की रिपोर्ट है। दिनांक 31-8-70 के दस्तावेज के आधार पर यह देखा जाना चाहिये कि तेजासिंह के पास उक्त दिनांक को जमीन थी या नहीं ? ज्ञानकौर क्या तेजासिंह को तमलीकनामा कर सकती थी या नहीं?क्योंकि राजेन्द्रसिंह की देखभाल हेतु सशर्त जमीन दी गई थी। नामान्तरण फिसकल प्रोसिडिंग्स है. इससे अधिकार तय नहीं होते हैं। रेस्पो0 सं0 16 की मृत्यू हो चुकी है। आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। रेस्पो0 सं0 14 से 26 को डिलीट करने के आदेश दिये गये हैं। आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के अन्तर्गत नोन ज्योण्डर आफ पार्टी से अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने तर्को के समर्थन में आर बी जे (24) एस सी 171, आर आर टी2019(1) पेज 392, आर आर टी 2019(1) पेज 648, आर आर टी 2021(1) पेज 391 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये तथा मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निगरानी टी0ए0 सं0 350/20 में पारित स्थगन दिनांक 22-1-20 की प्रति एवं उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर के न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र दर्शनसिंह वगैरा बनाम अवतारकौर वगैरा की प्रति दौराने बहस प्रस्तुत की है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

हस्तगत अपील अपीलाधीन इंतकाल सं0 10 दिनांक 14-2-1955 जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्री करणपुर द्वारा तमलीकनामा दिनांक 25-1-55 के आधार पर स्वीकृत किया गया है, को प्रस्तुत अपील के माध्यम से चुनौति दी गई है।

वकील अपीलांट का तर्क है कि तमलीकनामा मैन्टेनेन्स डीड है, इससे कृषि भूमि के राईट नहीं मिलते हैं। तमलीकनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अपीलाधीन इंतकाल प्रारम्भ से ही शून्य एवं विकृत है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर आर डी 1997 पेज 136 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है।

उक्त न्यायिक दृष्टत में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

[C] Tamliknama - Tamliknama does not extinguish the rights of the asscesse - It does not amount to transfer of title _ It is merely a maintenance deed wherein the proprietary rights are retained by the transferor - No relief can be given.

अतः माननीय राजस्व मण्डल के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि तमलीकनामा ट्रान्सफर डीड न होकर मैन्टेनेंस डीड है।

वकील रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है इसलिए अपील खारिज की जावे।

इस संबंध मेंआर आर टी 2021(1) पेज 391 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 – मुकना राम की मृत्यू पर नामान्तरणकरण जेताराम के नाम खोला – अपीलें स्वीकार की और नामान्तरण रद्द किया – जेताराम के भाईयों ने उनके जीवनकाल में नामान्तरणकरण के विरूद्व आपति नहीं उठाई – जेताराम के भाईयों का ज्ञान था कि मुकनाराम के हिस्से की भूमि जेताराम के नाम दर्ज की – अपील पेश करने में विलम्ब स्पष्ट नहीं किया – अपील पेश करने में 34 वर्ष का विलम्ब क्षम्य योग्य नहीं था – निर्णीत, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने आदेश अपास्त करने में त्रुटि नहीं की है।

रेस्पो0 सं0 2 के अधिवक्ता की ओर से परिसीमा अधिनियम के बिन्दू पर आर आर टी 2021 पेज 1250, 1301, 851, 610, एवं 385 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर कथन किया है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये।

अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा ए0 आई0 आर0 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 1353 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि :–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

[B] Limitation Act [36 of 1963]S.5 - Condonation of delay - Courts should adopt liberal approach - Reasons for adopting such approach stated.

निर्णय के पैरा स0 3 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है कि **" Every day's delay must be explained" does not mean that a pedantic approach should be made. why not every hour's delay, every second's delay? the doctrine must be applied in a rational common sense pragmatic manner".**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवधारित किया गया है कि मियाद के बिन्दू पर न्यायालय को लिबरल एपोच रखनी चाहिये। हस्तगत प्रकरण में तमलीकनामा के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है तथा अपील में कानूनी बिन्दू निहित होने से मेरे विन्रम मत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल एप्रोच रखते हुए अपील दायर करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है तथा हस्तगत अपील का निर्णय गुणदोष के आधार पर किया जाता है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है तथा अपील के साथ इनके द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 30–11–18 को अपील प्रस्तुत को अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो उसी रोज अपीलांट के अधिवक्ता की सुनवाई के उपरांत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अतः रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का उक्त तर्क सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का तर्क है कि रेस्पोडेन्ट सं0 16 की मृत्यू के उपरांत उसके वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया गया। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 के अन्तर्गत नोन जोयन्डर आफ पार्टी के कारण अपील खारिज की जानी योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 2–12–21 को सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट सं0 14 से 26 का नाम अपील शीर्षक से डिलीट करने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत आदेश दिनांक 22–2–22 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील शीर्षक से रेस्पोडेन्ट सं0 14 से 26 का नाम डिलीट करने के आदेश पारित किये जा चुके हैं। इस आदेश के खिलाफ रेस्पो0 के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई है इसलिए यह आदेश अंतिम होने से रेस्पो0 के उक्त तर्क को बल नहीं मिलता है।

हस्तगत अपील में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की मैरिट पर बहस सुने जाने के उपरांत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी विधिक प्रार्थना पत्र के माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी/टी.ए./सं0 350/2020 सतविन्द्रसिंह बनाम परमजीतकौर वगैरा में पारित स्थगन आदेश 22–10–20 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन भूमि पर माननीय मण्डल का स्थगन है इसलिए हस्तगत अपील में कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये।

माननीय मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश का सासम्मान अध्ययन किया गया। माननीय मण्डल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर की अपील सं0 168/2018 अनवानी परमजीतकौर बनाम अवतारकौर में वर्णित विवादित आराजी के उभय पक्ष मण्डल की आगामी नियत दिनांक तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। उक्त निगरानी प्रकरण में चक 24 एच के मु0 नं0 24 के विभिन्न किला नम्बरान की 18.9 बीघा भूमि को जरिये चार पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमशः 615 से 618 दिनांक 31–8–70 के द्वारा मूल खातेदार ज्ञानकौर के व्यस्क पुत्र तेजासिंह से क्रय करने की कृषि भूमि से संबंधित है जबकि अपीलाधीन इंतकाल में मु0 नं0 24 के अलावा अन्य मुरब्बाजात की भी भूमि शमिल है। माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन केवल मु0 नं0 24 की भूमि पर है, शेष मुरब्बाजात की भूमि पर स्थगन नहीं है। साथ ही माननीय मण्डल का स्थगन राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर की अपील सं0 168/18 में पारित आदेश पर प्रभावी है। मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–01–2020 के अवलोकन पर पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर के न्यायालय में विचाराधीन वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र जिसमें दिनांक 11–8–14 को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जो चार वर्ष तक प्रभावी रही एवं चार वर्ष बाद दिनांक 22–10–18 को रा0का0अधि0 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्व मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 10–1–20 को अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर के न्यायालय का आदेश दिनांक 22–10–18 आदेश निरस्त किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11–08–14 को वाद के निर्णय तक पुष्टि करते हुए विवादित भूमि की मौका की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पो0 सं0 4 सतविन्द्रसिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डलख अजमेर में निगरानी सं0 350/20 दायर हुई, जिसमें दिनांक 22–1–20 को आदेश पारित कर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर की अपील सं0 168/18 में वर्णित विवादित आराजी के उभय पक्ष मण्डल की आगमी नियत दिनांक तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं। उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर के न्यायालय में विचाराधीन वाद में चक 24 एच ए के मु0 नं0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

24 के विभिन्न किला नम्बरान की 18.9 बीघा भूमि को जरिये चार पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमशः 615 से 618 दिनांक 31–8–70 के संबंध में है।

हस्तगत अपील नामान्तरण सं0 10 से संबंधित है। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन वाद में इन्तकाल सं0 21 से संबंधित भूमि है जिसमें मु0 नं0 15 व मु0 नं0 24 की भूमि है। उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर के न्यायालय में वाद पत्र अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा धारा 88,188,91,92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर किया गया है एवं वाद पत्र में वर्णित मु0 नं0 24 की भूमि पर माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन है। वाद पत्र के अनुतोष में वादीगण के हिस्से की भूमि 18 बीघा 9 बिस्वा की हद तक निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। नामान्तरण की कार्यवाही एक सरसरी तौर पर की जाने वाली अर्द्धन्यायिक फिसकल कार्यवाही है, जिसमें किसी पक्ष का हक, अधिकार या दायित्व का निर्धारण नहीं होता है। अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित स्थगन केवल मा. मु0 नं0 24 की भूमि पर प्रभावी है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर मेरे विन्रम मत में तमलीकनामा के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन इंतकाल सं0 10 दिनांक 14–2–55 में वर्णित चक 24 एच ए के मु0 नं0 24 के विभिन्न किला नम्बरान की 18.9 बीघा भूमि जिसपर माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन है, को छोड़ते हुए, शेष इंतकाल निरस्त किया जाता है। अपीलांटास विधिसम्मत् दस्तावेजात के साथ आगामी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगें। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 31–03–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अत्तारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner